न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : आर.के. जैन

सदस्य

प्रकरण क्रमांक- एक/निगरानी/छतरपुर/ भू.रा./18/ 2530 **विरूद्ध** आदेश दिनांक 23-03-2018 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त सागर संभाग, सागर का अपील प्रकरण क्रमांक 875 एवं 853/अ-6/2011-12

....

रामअसारे राजौरिया तनय धुराम राजौरिया
निवासी-ग्राम बरा(कीरतपुर)
उप तहसील महेवा, छतरपुर (म.प्र.)

------------आवेदक

विरूद्ध

1- मुस. उर्मिला उर्फ वेलावाली बेबा रामऔतार गोस्वामी
2- मुस. रेखा देवी पुत्री रामऔतार गोस्वामी
3- हेमा देवी पुत्री रामऔतार गोस्वामी
4- दिलीप कुमार उर्फ बोरे तनय रामऔतार गोस्वामी
निवासीगण- टौरिया मोहल्ला वार्ड क्र. 6
जिला-छतरपुर (म.प्र.)

-----------अनावेदगण

....

श्री सुनील सिंह, अभिभाषक, आवेदक
श्री के.के. द्विवेदी, अभिभाषक, अनावेदकगण

....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 12.9.2018 को पारित)

यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे **संक्षेप** में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत न्यायालय अपर आयुक्त सागर संभाग, सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 23-03-2018 के विरूद्ध प्रस्तुत **किया** गया।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम **बरा** (कीरतपूरा) स्थित विवादित भूमि कुल किता 09 कुल रकबा 3.259 हैक्टयर राजस्व अभिलेख में अनावेदिका क्रमांक 1 आदि, स्व. सीता गोस्वामी धूराम तथा स्व. हल्के गोस्वामी

तनरय धूराम के नाम 1/3, 1/3 हिस्से में राजस्व अभिलेख में दर्ज थी। स्व. सीता गोस्वामी सहखातेदार थे । स्व. सीता गोस्वामी अविवाहित थे तथा वह लावल्द फौत हो गये थे। अनावेदिका क्रमांक 1 उर्मिला देवी ने वसीयतनामा दिनांक 03-10-2003 आधार पर नामांतरण किये जाने हेतु नायब तहसीलदार महेबा, जिला-छतरपुर के समक्ष आवेदन पत्र पेश किया गया, जिसके संबंध में आवेदक रामाअसारे द्वारा तहसील न्यायालय में इस आशय की आपत्ति पेश की कि अनावेदिका आदि का उक्त सम्पत्ति पर कोई हक व स्वत्व प्राप्त नहीं है। अनोवदिका द्वारा जो वसीयतनामा पेश की है वह फर्जी है एवं अंतिम वसीयतनामा दिनांक 30-10-2003 की है, जो आवेदक द्वारा पेश की है । नायब तहसीलदार ने प्रकरण पंजीबद्ध कर मृतक सीता गोस्वामी के वारिसान रामाअसारे तनय धूराम, उर्मिला बेवा रामावतार, हेमा, रेखा दिलीप पुत्र/पुत्रीगण स्व. रामऔतार, शरन बाई व रामसिया पुत्रीगण धूराम के पक्ष पटवारी प्रतिवेदन के आधार पर दिनांक 15-03-2010 को सभी वारिसों के पक्ष में नामांतरण आदेश पारित किया । नायब तहसीलदार के आदेश दिनांक 15-03-2010 के विरूद्ध अनवेदिका उर्मिला देवी द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर के यहॉ प्रस्तुत की गई, जहॉ अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 16-08-2011 से उक्त अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुये नायब तहसीलदार महेबा के आदेश दिनांक 15-03-2010 में आंशिक संशोधन करके दोनों बहनें शरन बाई व रामसिया पुत्रीगण धूराम के नाम कम करते हुये शेष वारिसों के नाम नामांतरण के आदेश दिये। अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध अनावेदिका क्रमांक 1 उर्मिला देवी द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त सागर संभाग, सागर के समक्ष पेश की, जिसमें अपर आयुक्त ने दिनांक 23-03-2018 से अनावेदिका उर्मिला की वसीयत को सिद्ध पाते हुये नामांतरण के आदेश दिये तथा अपील स्वीकार की । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ उभयपक्षों के अभिभाषकों द्वारा लिखित तर्क प्रस्तुत की गई है, जिसका अवलोकन किया गया ।

4/ मेरे द्वारा उभयपक्ष के तर्को के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया। अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजियां कुल किता 09 कुल रकबा 3.259 हैक्टयर के सहखातेदार सीता गोस्वामी थे। चूँकि सीता गोस्वामी अविवाहित थे और लावल्द फौत हुये थे। सीता गोस्वामी द्वारा मृत्यु के उपरांत वसीयत के आधार पर नामांतरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किये ज़ाने पर नायब तहसीलदार ने सभी वारिसों के नाम नामांतरण के आदेश दिये है। नायब तहसीलदार द्वारा आवेदक एवं अनावेदिका क्रमांक 1 उर्मिला द्वारा प्रस्तुत वसीयत पर बिना विचार एवं बिना परीक्षण किये वसीयत संदिग्द्ध मानने में त्रुटि की है। यदि नायब तहसीलदार के समक्ष वसीयत प्रस्तुत की गई थी तो नायब तहसीलदार को प्रस्तुत वसीयतों के लेखक व साक्ष्यों के कथन एवं प्रतिपरीक्षण कर जांच करने

43

12.9.18

चाहिये थे और सहकारण आदेश पारित करने चाहिये थे, किन्तु नायब तहसीलदार द्वारा सहकारण एवं बोलता हुआ आदेश पारित नहीं किया गया है । ऐसी स्थिति में नाबय तहसीलदार का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं हैं। जहॉ तक अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर के आदेश का प्रश्न है तो अनुविभागीय अधिकारी ने भी वसीयतनामे में से दोनों नाम से निष्पादित कराया गया था और इसी वसियतनामा के आधार पर अनावेदिका क्रमांक 1 ने उक्त वादग्रस्त भूमि का नामांतरण अपने नाम किये जाने का निवेदन विचारण न्यायालय में किया था, किन्तु विचारण न्यायालय ने इस विधिक बिन्दु पर ध्यान दिये बिना ही फौती नामांतरण आदेश पारित किया है, जो कि मान्य किये जाने योग्य नहीं है। जहॉ तक अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर के आदेश का प्रश्न है तो अनुविभागीय अधिकारी ने भी वसीयतनामे में से दोनों बहनोंके नाम कम कर शेष वारिसों(भाईयों) के नाम नामांतरण के आदेश पारित करने में अनियमितता की है । ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी का आदेश भी उचित नहीं कहा जा सकता है।

5/ अपर आयुक्त के अपर आयुक्त के आदेश का भी अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त ने यह मानते हुये कि अनावेदिका क्रमांक 1 की वसीयतनामा दिनांक 03-10-2003 की वसीयत को अंतिम वसीयत मानकर सिद्ध मानने में त्रुटि की है। क्योंकि भूमिस्वामी सीता गोस्वामी की मृत्यु 05-11-2003 को हुई थी । अपर आयुक्त द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया गया कि आवेदक एवं अनावेदिका द्वारा प्रस्तुत वसीयतनामा अपंजीकृत है । यह तथ्य विचारनीय है भूमिस्वामी सीता गोस्वामी दिनांक 05-11-2003 मृत्यु हुई थी। ऐसी स्थिति में दोनों वसीयत में वसीयत लेखक एवं साक्ष्य के कथन प्रतिपरीक्षण किया जाकर सर्वप्रथम वसीयत सिद्ध नहीं पाये जाने की स्थिति में वारिसों के नाम नामांतरण के आदेश दिये जाने चाहिये थे । अपर आयुक्त द्वारा भी इस महत्वपूर्ण बिन्दुओं में विचार न कर आदेश पारित करने में त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त का आदेश स्थिर नहीं रखा जा सकता

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तीनों अधीनस्थ न्यायलयों के आदेश निरस्त किये जाते है तथा निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार करते हुये प्रकरण नायब तहसीलदार कों इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि प्रकरण में प्रस्तुत दोनों वसीयतों की जांच करें । तत्पश्चात सिद्ध वसीयत के आधार पर मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 109-110 में बने नियम के अनुरूप कार्यवाही करें और यदि वसीयत सिद्ध नहीं पाया जाता तो वारिसों के हित में नामांतरण स्वीकार करें।

3/3

9.18

(आर.के. जैन)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्प्रदेश
ग्वालियर,